

**भारतीय रिजर्व बैंक**  
**शहरी बैंक विभाग**  
**केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
**URBAN BANKS DEPARTMENT**  
**CENTRAL OFFICE, BOMBAY**

लाइसेंस सं. यूबीडी. आंपु प्रदेश 1612 पी

भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (o) के साथ  
पढ़ी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए — तिरुमला को-ऑपरेटिव  
उर्बन बैंक लि. हैदराबाद

को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने और उसे बालू रखने का  
लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

(क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल निबंधक, सहकारी समितियाँ द्वारा  
सम्यक रूप से अनुमोदित उपचिधियोंमें उत्तिलिपि कार्यक्रम — तक सीमित होगा।

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अधिका उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपना  
कारोबार शुरू करने के दिन / लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

दिनांक : 28 जुलाई 1998


के.वि. शुभा० 17/८  
के.वि. सहबाराव  
मुख्यमन्त्रिम  
उप महाप्रबृहि

LICENCE No. UBD. AP 1612 P

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section  
22 (1) read with Section 56 (o) of the Banking Regulation Act, 1949, Tirumala  
Co-operative Urban Bank Ltd., Hyderabad  
is hereby granted a licence to commence and carry on banking business, subject  
to the following conditions :

- (a) The area of operations of the bank shall be confined only to the area as indicated in the bye laws duly approved by Registrar of Co-operative Societies
- (b) This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the day on which it commences business / date following the receipt thereof.

Dated : 28 July 1998



Deputy General Manager

K.V. Subba Rao  
OTHER OFFICERS